न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 679/2016

उनवान

(1) बंशीलाल पिता छगनलाल जाति ब्राम्हण निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) रतना पिता वेलजी जाति आदिवासी निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

(2) रमेश पिता नाथु जाति आदिवासी निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः08.5.2025

प्रकरण का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 441 के खसंरा संख्या 1624/7786 रकबा 0.06 हैक्टर भुमि वाके गांव मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित होकर वादी इसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की उपरोक्त भुमि पर किसी ओर का कोई हक एवं अधिकार नही है। 15 रोज पूर्व प्रतिवादीगण अपने साथ मजदुर इत्यादी साथ लेकर आये व वादी की बागड़ को काटते हुये अतिक्रमण कर दोनो ने झोपडिया बना ली। वादी को जैसे ही इसकी जानकारी हुई वादी मौके पर गया व उनको समझाने का प्रयास करने लगा तो अभियुक्तगण लडाई पर आमादा हो धमकिया देने लगे। वादी द्वारा इसकी शिकायत पुलिस थाना अरथूना में करने पर प्रतिवादीगण को पाबंद करवाया गया। किन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने और वादी की भूमि पर कब्जा जारी रखा। जिसे जरिये आज्ञापक आदेश वादी की भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को उसकी भूमि का रिक्त कब्जा दिलाये जाने वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री विरेन्द्र सिंह राव का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण पैतृक समय से मवैशियों के बांधने के बाडे एवं फसल रखने हेतु उपयोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादी ने अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर वादग्रस्त भूमि अपने नाम पेपर आवंटन करा कर प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के संलग्न [illegible] वेज तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी के द्वारा साक्ष्य के रूप में PW-1 बंशीलाल पिता छगनलाल का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 441 के खसंरा संख्या 1624/7786 रकबा 0.06 हैक्टर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर वाद दर्ज होने के 15 रोज पूर्व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मजदुर साथ लेकर आये और उक्त भूमि की बागड काट कर झोपडी बना ली। पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की जाकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य के रूप में प्रतिवादीगण के गवाह DW-1 रतना पिता वेलजी का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया कि वाग्रस्त भूमि खाता संख्या 441 के खसंरा संख्या 1624/7786 रकबा 0.06 हैक्टर पर प्रतिवादीगण के मकान बने है। तथा चारो ओर बागड बनी होकर मवेशी बान्धने एवं फसल रखने के काम आरही है। प्रतिवादीगण के अन्य गवाह DW-2 रमेश पिता नाथु का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया कि प्रतिवादीगण की कब्जे शुदा भूमि का वादी द्वारा अपने राजनैतिक रसुख का दुरूपयोग कर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगंत कर उक्त भूमि का पैपर आवंटन करा लिया है। उक्त भूमि के आस पास में कही पर भी वादी की अन्य कोई भूमि नहीं है तथा वादी का मकान भी अन्दर गांव में बना हुआ है। प्रतिवादीगण के अन्य गवाह DW-3 हरिश पिता हुका एवं एक और अन्य गवाह DW-4 हरिशंकर पिता चौखा का शपथ–पत्र पेश कर अवलगत कराया की वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे की है तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण के मकान, मवेशियों के बांधने एवं फसल रखने के काम आ रही है। वादी द्वारा अपने राजनैतिक रसुख का दुरूपयोग कर उक्त भूमि का अपने नाम पैपर आवंटन करा लिया है।

पत्रावली में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया की वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर झोपडी बनाई गई है जिसे हटाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादीगण के कब्जे की है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान बना होकर मवेशियों के बांधने एवं फसल रखने के काम आ रही है। वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम भूमि आवंटन कराली है। बहस पर मनन् करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत वाद, वाद संलग्न प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2071 से 74 तथा प्रतिवादीगण का जवाब एवं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्रो आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या 01:– आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि गांव मोटी बस्सी की खाता संख्या 441 के सर्वे नम्बर 1624/7786 रकबा 0.06 हे0 स्थित है।

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 441 संवत् 2071 से 2074 पेश की। किन्तु जमाबंदी का अवलोकन करने से ज्ञात आया कि उक्त खाते में खसंरा संख्या 7786/1624 का उल्लेख है [illegible] 1624/7786 है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:31 IST
Reason: Self Attested

तनकी संख्या 02:– आया वादी की [illegible] द्वारा वाद प्रस्तुत करने से 15 रोज पूर्व वादी की बागड़ को कांटते हुऐ अतिक्रमण कर झोपड़िया बना कर वादी की भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे रोका जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में अपने गवाह PW-1 बन्शीलाल पिता छगनलाल का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया की प्रतिवादीगण द्वारा 15 रोज पुर्व मजदुरो के साथ वादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर बागड तोड झोपडी निर्माण की है। परन्तु उक्त अतिक्रमण वाद दर्ज होने के 15 रोज पूर्व हुआ है ऐसा को फोटोग्राफ अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध गवाह DW-1 रतना पिता वेलजी, DW-2 रमेश पिता नाथु, DW-3 हरिश पिता हुका एवं DW-4 हरिशंकर पिता चौखा का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पैतृक समय से अपने कब्जे की है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान बना हो कर चारो ओर बागड बनाकर मवेशियों के बांधने एवं फसल रखने के काम आ रही है। उक्त भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है। वादी द्वारा अपने राजनैतिक रसुक का दुरूपयोग कर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का पेपर आवंटन कराया है। उक्त साक्ष्यो के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण लम्बे समय से बैठे हुए है अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अस्वीकार है। वादी के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी ने उक्त भूमि का राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने नाम आवंटन करवाया है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

(प्रतिवादीगण साबित करे)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण गवाह DW-1 रतना पिता वेलजी, DW-2 रमेश पिता नाथु, DW-3 हरिश पिता हुका एवं DW-4 हरिशंकर पिता चौखा का शपथ–पत्र पेश कर अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पैतृक समय से अपने कब्जे की है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान बना हो कर चारो ओर बागड बनाकर मवेशियों के बांधने एवं फसल रखने के काम आ रही है। उक्त भूमि पर कभी भी वादी कब्जा नहीं रहा है। वादी द्वारा अपने राजनैतिक रसुक का दुरूपयोग कर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का पेपर आवंटन कराया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 अनुतोष:– तनकी संख्या 01, 02 वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो कर अधिक तनकिया वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। वाद ग्रस्त भूमि वादी के खाते की है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा वाद दर्ज होने से [illegible] पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया है यह वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। लिहाजा [illegible] वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.5.2025 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई
(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 679/2016

उनवान

(1) बंशीलाल पिता छगनलाल जाति ब्राम्हण निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) रतना पिता वेलजी जाति आदिवासी निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

(2) रमेश पिता नाथु जाति आदिवासी निवासी मोटी बस्सी तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 08.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 08.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner